45/2016 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानग

जोधसिंह बनाम जसकरणसिंह व राज्य

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 45 / 16

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
06.07.16	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि स्थगन आदेश के बावजूद राजस्व लोक अदालत अभियान में अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है। यदि विवादित रकबा का बेचान हो गया तो ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी। प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अपीलांट के तर्कों से सहमत होते हुए प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी इंतकाल सं0 246 दिनांक 8–6–16 में वर्णित भूमि अन्य किसी को रहन, बैय एवं हस्तान्तरण से प्रतिबंधित रहें। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10–8–16 को पेश हो। [signature] 6/7/16 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)	N.J. 1597-98 6.7.16 1543 6.7.16 स्थगन आदेश
10.8.16	अपीलांट के Ad. उप०। रेस्पो० सं० 1 की ओर से श्री सुरेश अरोड़ा Adv. ने वकालतनामा पेश किया - आ० मिसल रहे। रेस्पो० सं० 3 बावजूद तामील हाजिर नहीं, उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। रेस्पो० सं० 4 की ओर से G.A. उप०। रेस्पो० सं० 2 का सम्मन वाह। अदम तामील प्राप्त नहीं। पूर्व में जारी स्थगन की अवधि आ० ता० पेशी तक बढ़ाई जाती है। रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दि० 9.9.16 को पेश हो। [initials]	
9.9.16	अभिभाषक उभय पक्ष उप०। पूर्व में जारी स्थगन की अवधि आगामी ता० पेशी तक बढ़ाई जाती है। रेकार्ड तलब करें। रेस्पो० सं० दो को तब्दील हुए सम्मन तलबाना	

Scanned by CamScanner

पेश करें। सम्मन जारी हों पत्रावली दिनांक 13.10.16 को पेश हो।

13.10.16 अभिभावक उभय पक्ष उप०। पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधि आगामी तारीख पेशी तक बढ़ायी जाती है। रेकार्ड तलब करें। अपीलार्थी के Adv. गत आदेश की पालना करें। पत्रावली दि० 21.11.16 को पेश हो।

21.11.16 अभिभावक उभय पक्ष उप०। पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधि आगामी तारीख पेशी तक बढ़ाई जाती है। वकील अपीलांट रेस्पो० सं० दो की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करें। सम्मन जारी हों। पत्रावली में दि० 13.10.16 की आदेशिका की पालना में रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दि० 26.12.16 को पेश हो।

26.12.16 बार संघ के प्रस्तावानुसार Adv. द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित किया हुआ है। पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 02.02.17 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

vt. of Rajasthan — OFFICE NOTE — Gen. No. 12

2-2-17 ——— Office

——— Deptt.

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट स्वंय, अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट की शिनाख्त श्री [illegible] सिंह Ad. द्वारा की गई। अपीलांट के Ad. ने निवेदन किया कि उनका राजीनामा हो चुका है। वे अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली वास्ते आदेश दि० 11.2.17 को पेश हो।

जोगिन्दर सिंह [illegible] 2/2/17

11.2.17 पत्रावली लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। दिनांक 2–2–17 को अपीलांट स्वंय उपस्थित हुआ जिसे उसके अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया तथा अपने आई०डी० प्रूफ के रूप में ड्राईविंग लाईसैन्स की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनका आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलांट अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील मे आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से, अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है आदेशिका की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित दर्शित कर, नम्बर से कम की जावे एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Lavo 11.2.17

(करतारसिंह पुनिया)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

1-7-2011-2,00,000 F.

Scanned by CamScanner